न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 119/2019 **दायरा दिनांक : 22.11.2019**

उनवान

विजय कुमार पुत्र श्री कृपाराम, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– श्री सत्यवीर पुत्र हृदयराम तथाकथित दत्तक पुत्र कृपाराम, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2– श्रीमती शांतिबाई पुत्री श्री कृपाराम पत्नी श्री नारायण लाल, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3– श्रीमती भूरी बाई पुत्री श्री कृपाराम पत्नी श्री रामदयाल, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

4– श्रीमती सोनबाई पुत्री श्री कृपाराम पत्नी श्री रघुवीर सिंह, जाति आंजना, निवासी कोचरियाखेड़ी, तहसील सीतामऊ मध्य प्रदेश

5– श्री राधेश्याम पुत्र श्री देवीलाल, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

6– श्री रोडूराम पुत्र श्री कनीराम, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

7– श्री हरिशंकर पुत्र श्री कनीराम, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

8– श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री परसराम, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

9– श्री घनश्याम पुत्र श्री रामदयाल, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

10– श्री विनोद पुत्र श्री रामदयाल, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

11– श्री राजाराम पुत्र श्री हृदयराम, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

12– श्रीमती पारवती बाई पत्नी हृदयराम, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

13– श्री मांगीलाल पुत्र श्री गोपाल लाल, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

14– श्री बालचन्द पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

15– श्री दानाराम पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

16– श्रीमती मांगीबाई पत्नी श्री प्रभूलाल, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

17– राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान् तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड़

18– पी एल डी बी

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बच्चू लाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 18.03.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 97/दावा/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 183, 209 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत रेस्पोडेंट प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया था । रेस्पोडेंट के विरूद्ध बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही करने का आदेश पारित किया था । अपीलांट वादी ने साक्ष्य में अपने शपथ पत्र पेश किये लेकिन उसके बावजूद भी अपीलांट का वाद खारिज कर दिया

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध-अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के विरूद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय को रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करने के पश्चात् ही अपीलांट द्वारा साक्ष्य में पेश किये गये दस्तावेजात व शपथ पत्रों के आधार पर दावा डिक्री करना चाहिए था जो नहीं करके कानूनी गलती की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी कम 1 को मृतक कृपाराम का गोदनशीन पुत्र मानकर कानूनी गलती की है। गोद के तथ्य दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं है न मृतक कृपाराम अपीलांट के जीवत रहते रेस्पोडेंट कम 1 को गोद ले सकता है । तथाकथित गोद कानून के विरूद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा पेश किये गये शपथ पत्रों व दस्तावेजों का कतई अवलोकन नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2019 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमारा दावा खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी कृपाराम के नाम की थी । कृपाराम की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 16 के नाम दर्ज कर दी । कृपाराम के दो पत्नियां थी एक के वारिस हम अपीलांट हैं और दूसरी के कोई संतान नहीं थी । कृपाराम हमारे साथ रहते थे । एक्जीविट 4, 5, 6 तीनों इंतकालों में दत्तक पुत्र सत्यवीर के नाम कर दी थी । अधीनस्थ न्यायालय में हमारे खिलाफ कोई बयान भी नहीं हुए हैं कि हम कृपाराम के लड़के नहीं हैं । वादग्रस्त आराजी में हमारा नाम दर्ज होना चाहिए । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलांट वादी द्वारा मात्र पहचान पत्र एवं राशन कार्ड की छाया प्रति पेश की, जिससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि वादी अपीलांट कृपाराम का वारिस हो । वादी अपीलांट ने मृतक कृपाराम का

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

वारिस होने बाबत कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किये हैं । वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र गवाहों ने कहीं पर भी अपनी साक्ष्य, शपथ पत्रों में जिक्र नहीं किया है कि वादी अपीलांट मृतक कृपाराम का लड़का हैं । वादी अपीलांट स्वयं इस बात का जिक्र वाद में कर रहे हैं कि नामान्तरकरण संख्या 636, 331 व 1254 निर्णय दिनांक 23.05.2005 ग्राम पंचायत गणेशपुरा द्वारा तस्दीक किया गया हैं, वह वैध होकर प्रभावशून्य है । वादी अपीलांट को चाहिए था कि वह इन नामान्तरकरणों को सक्षम न्यायालय में चुनौती दे कर राहत प्राप्त करता, किन्तु वादी अपीलांट द्वारा ऐसा नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामला नामान्तरकरण से सम्बन्धित होना पाया गया, जो उचित है । वादी अपीलांट उक्त नामान्तरकरणों को खारिज करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर राहत प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है । वादी अपीलांट अपने वाद को सिद्ध करने में असफल रहा है । अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

विजय कुमार पुत्र श्री कृपाराम, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
.... **अपीलांट**

बनाम

1– श्री सत्यवीर पुत्र हृदयराम तथाकथित दत्तक पुत्र कृपाराम, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
2– श्रीमती शांतिबाई पुत्री श्री कृपाराम पत्नी श्री नारायण लाल, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
3– श्रीमती भूरी बाई पुत्री श्री कृपाराम पत्नी श्री रामदयाल, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
4– श्रीमती सोनबाई पुत्री श्री कृपाराम पत्नी श्री रघुवीर सिंह, जाति आंजना, निवासी कोचरियाखेड़ी, तहसील सीतामऊ मध्य प्रदेश
5– श्री राधेश्याम पुत्र श्री देवीलाल, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
6– श्री रोड़ूराम पुत्र श्री कनीराम, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
7– श्री हरिशंकर पुत्र श्री कनीराम, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
8– श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री परसराम, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
9– श्री घनश्याम पुत्र श्री रामदयाल, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
10– श्री विनोद पुत्र श्री रामदयाल, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
11– श्री राजाराम पुत्र श्री हृदयराम, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
12– श्रीमती पारवती बाई पत्नी हृदयराम, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
13– श्री मांगीलाल पुत्र श्री गोपाल लाल, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
14– श्री बालचन्द पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
15– श्री दानाराम पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
16– श्रीमती मांगीबाई पत्नी श्री प्रभूलाल, जाति आंजना, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
17– राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान् तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड़
18– पी एल डी बी

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. 119/2019 एवं नाराजगी डिकी अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी**
मु.द.नं0 97/दावा/2017 निर्णय व डिकी दिनांक – **30.09.2019**

दावा बाबत

माह अपील व **तारीख 05** माह **03** सन् **2021**

हाजरी **श्री बच्चू लाल** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट
समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज **की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 30.09.2019 यथावत** रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **18** माह **03** सन् **2021** को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज.)